न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं० 2026 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 03 / 2026	2026 / 60	05.03.2026	23.04.2026

1– मुबीन पुत्र इशाक जाति मेव निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थिया

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– साहबुदीन पुत्र चाहत,
3– अख्तर,
4– हारून,
5– दाउद,
6– इसलाम पुत्रान मंगली,
7–आसू पुत्र ईसब,
8– नियाजु पुत्र ईसब,
9– फत्तु पुत्र ईसब,
10– शरीफ पुत्र ईसब,
11–अब्दुल करीम,
12– डूंडा पुत्रान मल खां मेव निवासीयान ग्राम मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास में विचाराधीन प्रकरण संख्या 128 / 2018 को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास में विचाराधीन प्रकरण संख्या 128 / 2018 में प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है, अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है। इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थिया द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियो से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थिया द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रही है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी मुबीन द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।

न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा, विधि अनुसार प्रकरण संख्या 128/2018 का निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)